भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2394

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थिति

†2394. **श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः**

श्री मुरारी लाल मीनाः

श्री भजन लाल जाटवः

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से आज तक स्वीकृत/अनुमोदित, कार्यात्मक और निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की वर्ष-वार संख्या कितनी है तथा पंजाब, राजस्थान, विशेषकर करौली-धौलपुर जिले सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में उक्त विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केजीबीवी में बालिकाओं के कुल नामांकन, स्कूल बीच में छोड़ने और स्कूल में बने रहने की दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में केजीबीवी में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के छात्रों के नामांकन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) करौली-धौलपुर जिले में केजीबीवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और बीपीएल श्रेणी की बालिकाओं का नामांकन कितना है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त विद्यालयों में किसी कमी की पहचान की है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(च) सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय के पश्चात केजीबीवी योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(छ) वर्ष 2019 से देश में केजीबीवी में बने हुए औसत शिक्षक-छात्र अनुपात का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या राजस्थान राज्य के जनजातीय बहुल दौसा जिले में केजीबीवी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ज): कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) ऐसे आवासीय स्कूल हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) से संबंधित लड़कियों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य एसईडीजी से बालिकाओं के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना और आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय स्कूलों की स्थापना करके प्रारंभिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर लैंगिक अंतर को कम करना है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और बीपीएल समुदायों की लड़कियों को आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2004-05 में कक्षा VI-VIII के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी। इसे 1 अप्रैल, 2007 से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में मिला दिया गया था। कक्षा IX-XII की लड़कियों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिका छात्रावास का निर्माण नामक एक अन्य योजना वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी और वर्ष 2014 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के साथ विलय कर दी गई थी।

वर्ष 2018-19 में, सर्व शिक्षा अभियान के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय घटक और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बालिका छात्रावास घटक को समग्र शिक्षा के अंतर्गत केजीबीवी के रूप में मिला दिया गया था, जिससे सभी छात्रावासों को एक ही ढांचे के अंतर्गत लाया गया था। समग्र शिक्षा में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बारहवीं कक्षा तक उन्नयित करने की परिकल्पना की गई है। मौजूदा और उन्नयित केजीबीवी को सुव्यवस्थित करने के लिए, इन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जो वर्तमान में कार्यात्मक रूप हैं:-

टाइप I	VI to VIII	स्कूल+छात्रावास/ केवल छात्रावास
टाइप II	VI-X	स्कूल+छात्रावास/ केवल छात्रावास
टाइप III	VI-XII	स्कूल+छात्रावास/ केवल छात्रावास
टाइप IV	IX-XII	केवल छात्रावास

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने और कमियों को दूर करने के लिए, सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा XII तक उन्नयन जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के सहयोग से केजीबीवी वार्डनों के लिए एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उनके संस्थागत और प्रशासनिक कौशल को बढ़ाने के लिए वार्डन की क्षमता को मजबूत करना है, जिससे एक सुरक्षित और सहायक वातावरण को बढ़ावा मिलता है जो लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देता है और उसमें सुधार करता है।

समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता की जाती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) तैयार किया जाता है। इसके बाद इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से पीएबी द्वारा योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से नियमित रूप से कमियों को दूर करने का आग्रह किया जाता है।

पंजाब और राजस्थान राज्यों सहित 05.12.2025 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित और कार्यात्मक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में है।

राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, धौलपुर जिले में कुल 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, करौली जिले में 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और दौसा जिले में 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्य कर रहे हैं और दौसा जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के कुल नामांकन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	वर्ष	नामांकित लड़कियों की कुल संख्या
1	**2020-21**	6,07,771
2	**2021-22**	6,50,690
3	**2022-23**	6,69,070
4	**2023-24**	6,91,304
5	**2024-25**	7,11,505

यूडाइस+ के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित सरकारी स्कूलों में लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने और उन्हें बनाए रखने की दर का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष		**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
स्कूल छोड़ने की दर	**मध्यवर्ती (VI-VIII)**	8.3	5.3	2.9
	माध्यमिक (IX-XII)	12.6	9.4	6.6
प्रतिधारण दर	**मध्यवर्ती (VI-VIII)**	76.4	78.9	84.2
	माध्यमिक (IX-XII)	45.1	47.5	49.6
स्रोत: यूडाइज+				

दिनांक 05.12.2025 की स्थिति के अनुसार केजीबीवी में लड़कियों के नामांकन का श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, करौली और धौलपुर जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिलों	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
1	करौली	335	252	167	4	**758**
2	धौलपुर	237	337	276	4	**854**

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, शिक्षक-छात्र अनुपात संबंधी आँकड़े **अनुलग्नक-III** में है।

*****

अनुलग्नक-I

"कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थिति" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री मुरारी लाल मीना, श्री भजन लाल जाटव, डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, श्री बलवंत बसवंत वानखड़े द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2394 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 05.12.2025 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और कार्यात्मक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल अनुमोदित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (स्थापना के बाद से पिछले 5 वर्षों सहित)	कुल कार्यात्मक केजीबीवी (दिनांक 05.12.2025 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	587	499
2	अरुणाचल प्रदेश	82	78
3	असम	162	151
4	बिहार	727	683
5	छत्तीसगढ	121	121
6	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	2	2
7	गुजरात	170	168
8	हरियाणा	72	65
9	हिमाचल प्रदेश	14	14
10	जम्मू और कश्मीर	176	94
11	झारखंड	203	203
12	कर्नाटक	146	145
13	केरल	1	1
14	लद्दाख	20	15
15	मध्य प्रदेश	408	408
16	महाराष्ट्र	86	85
17	मणिपुर	12	12
18	मेघालय	19	10
19	मिजोरम	2	2
20	नागालैंड	22	22
21	ओडिशा	355	324
22	पंजाब	29	29
23	राजस्थान	316	316
24	सिक्किम	1	1
25	तमिलनाडु	105	105
26	तेलंगाना	736	721
27	त्रिपुरा	15	15
28	उत्तर प्रदेश	841	783
29	उत्तराखंड	40	39
30	पश्चिम बंगाल	169	158
कुल		**5639**	**5269**
स्रोत: प्रबंध			

अनुलग्नक-II

"कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थिति" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री मुरारी लाल मीना, श्री भजन लाल जाटव, डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, श्री बलवंत बसवंत वानखड़े द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2394 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 05.12.2025 की स्थिति के अनुसार केजीबीवी में लड़कियों के नामांकन का श्रेणी-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा :-

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	श्रेणीवार नामांकन				
		एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
1	आंध्र प्रदेश	29825	12529	52036	9343	103733
2	अरुणाचल प्रदेश	0	8993	0	0	8993
3	असम	985	7846	4229	8107	21167
4	बिहार	32344	6336	22152	4606	65438
5	छत्तीसगढ	2289	12637	3427	18533	36886
6	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	0	148	0	0	148
7	गुजरात	1928	4791	7594	5226	19539
8	हरियाणा	837	0	445	576	1858
9	हिमाचल प्रदेश	355	142	12	399	908
10	जम्मू और कश्मीर	376	2020	626	5510	8532
11	झारखंड	10394	27810	21509	11337	71050
12	कर्नाटक	4390	2178	4053	3843	14464
13	केरल	6	28	8	38	80
14	लद्दाख	0	428	0	106	534
15	मध्य प्रदेश	11518	15702	10421	19630	57271
16	महाराष्ट्र	1369	3289	2024	1309	7991
17	मणिपुर	112	1269	535	211	2127
18	मेघालय	0	900	0	0	900
19	मिजोरम	0	150	0	0	150
20	नागालैंड	0	100	0	0	100
21	ओडिशा	10283	18335	11168	1213	40999
22	पंजाब	2584	0	313	294	3191
23	राजस्थान	16409	13467	10207	2312	42395
24	सिक्किम	10	72	72	2	156
25	तमिलनाडु	2643	2467	4568	33	9711
26	तेलंगाना	31036	29810	74572	6353	141771
27	त्रिपुरा	33	1813	34	0	1880
28	उत्तर प्रदेश	43171	1493	32195	9287	86146
29	उत्तराखंड	1819	457	1026	713	4015
30	पश्चिम बंगाल	1581	1799	949	1826	6155
कुल		**206297**	**177009**	**264175**	**110807**	**758288**
स्रोत: प्रबंध						

अनुलग्नक-III

"कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थिति" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री मुरारी लाल मीना, श्री भजन लाल जाटव, डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, श्री बलवंत बसवंत वानखड़े द्वारा पूछे गए दिनांक 15.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2394 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, शिक्षक-छात्र अनुपात आँकड़ा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिक्षक-छात्र अनुपात				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	1:21	1:21	1:21	1:21	1:21
2	अरुणाचल प्रदेश	1:25	1:25	1:25	1:25	1:25
3	असम	1:8	1:8	1:10	1:10	1:10
4	बिहार	-	-	1:33	1:28	1:39
5	छत्तीसगढ	-	1:27	1:28	1:28	1:30
6	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	1:13	1:29	1:15	1:12	1:24
7	गुजरात	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
8	हरियाणा	1:24	1:26	1:28	1:19	1:17
9	हिमाचल प्रदेश	केजीबीवी छात्रावास केवल आवासीय हैं				
10	जम्मू और कश्मीर	1:13	1:13	1:13	1:13	1:11
11	झारखंड	1:50	1:50	1:50	1:50	1:50
12	कर्नाटक	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
13	केरल	केजीबीवी छात्रावास केवल आवासीय हैं				
14	लद्दाख	1:6	1:6	1:6	1:6	1:6
15	मध्य प्रदेश	केजीबीवी छात्रावास केवल आवासीय हैं				
16	महाराष्ट्र	1:18	1:18	1:20	1:21	1:22
17	मणिपुर	1:19	1:20	1:18	1:16	1:16
18	मेघालय	-	1:10	1:15	1:20	1:20
19	मिजोरम	केजीबीवी छात्रावास केवल आवासीय हैं				
20	नागालैंड	1:33	1:33	1:33	1:33	1:33
21	ओडिशा	केजीबीवी छात्रावास केवल आवासीय हैं				
22	पंजाब	केजीबीवी छात्रावास केवल आवासीय हैं				
23	राजस्थान	1:25	1:25	1:25	1:25	1:25
24	सिक्किम	1:19	1:19	1:19	1:19	1:19
25	तमिलनाडु	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
26	तेलंगाना	1:14	1:14	1:15	1:16	1:16
27	त्रिपुरा	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30
28	उत्तर प्रदेश	1:14	1:19	1:17	1:17	1:16
29	उत्तराखंड	केजीबीवी छात्रावास केवल आवासीय हैं				
30	पश्चिम बंगाल	केजीबीवी छात्रावास केवल आवासीय हैं				
स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें						

******